

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 302/2024

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
छगनसिंह पुत्र घेवरसिंह जाति पुरोहित, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. धर्मराम पुत्र बरताराम 2. तोगाराम पुत्र जीवणाराम जाति मेगवाल, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाडमेर 3. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी - श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 11.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 500/217 रकबा 3.7231 हैक्टेयर मौजा पुषड, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 223, 706/223 रकबा क्रमशः 7.9561, 7.9642 हैक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम या कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी रास्ते हेतु घोषित होने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन का जवाब पेश कर स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 223 के सेढा पर बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता घोषित करवाने बाबत सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त रास्ते हेतु मौजा पुषड, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 223 रकबा 7.9561 हैक्टेयर में से रकबा 0.4370 हैक्टेयर एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 500/217 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 03 गट्टा एवं लम्बाई 436 गट्टा है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु लघुतम, निकटतम एवं सुगम रास्ता है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी में से बिना प्रतिफल राशि लिये प्रस्तावित रास्ता कटाण हेतु सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवेदन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है




उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाडमेर)


कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा पुषड, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 223 रकबा 7.9561 हैक्टेयर में से रकबा 0.4370 हैक्टेयर एवं प्रार्थी के खसरा नम्बर 500/217 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 03 गट्टा एवं लम्बाई 436 गट्टा है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम है। विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली उनकी खातेदारी भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये कटाण हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 500/217 रकबा 3.7231 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु मौजा पुषड, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 1 के खसरा नम्बर 223 रकबा 7.9561 हैक्टेयर में से रकबा 0.4370 हैक्टेयर तथा प्रार्थी के खसरा नम्बर 500/217 रकबा 3.7231 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर भूमि का प्रभावित पक्षकारान् द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाडमेर)


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाडमेर)